रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 29, 1985/कार्तिक 7, 1907
No. 213] NEW DELHI, TUESDAY, OCT 29, 1985/KARTIKA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ·
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मन्त्रालय

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1985

संकल्प का शुद्धिपत्र

विषय —व्यापार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार परिषद का गठन ।

सं 3(3)/85-नि सी —भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खण्ड 1 दिनांक 24 सितम्बर, 1985 में प्रकाशित संकल्प में उक्त संकल्प की अनुसूची के वर्ग 2 में प्रकाशित शब्दों (1) श्री एम एम जैकब, सदस्य राज्य सभा और (3) श्री एस टी शेरवानी, सदस्य लोक सभा के स्थान पर (1) श्री एम एम. जैकब, सदस्य, लोक सभा और (3) श्री एस टी शेरवानी, सदस्य राज्य सभा पढ़ें ।

एम सम्पगी, उप आर्थिक सलाहकार

कम्पनियों, को रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित हैं, किसी ऐसे अन्य स्थान पर इस शर्त के अधीन रहते हुए उनके वार्षिक साधारण अधिवेशन करने से छूट देती है कि ऐसी प्रत्येक कम्पनी, वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित करने के पन्द्रह दिन के भीतर, पंजाब के कम्पनियों के रजिस्ट्रार को ऐसे अधिवेशन की तारीख और स्थान के ब्यौरे तथा उन विदेशी राष्ट्रिकों के नाम जो उक्त अधिवेशन में उपस्थित रहे हों, प्रस्तुत करेगी ।

यह छूट 31 दिसम्बर, 1985 तक विधिमान्य रहेगी ।

[फाइल सं. 2-14-84-का. खा.-5]
ए. एम. चक्रवर्ती, उपसचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 28th October, 1985

NOTIFICATION

S.O. 790(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 166 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby exempts the companies whose registered offices are situated in the State of Punjab and which have foreign nationals as directors or shareholders, from holding their annual general meeting at their registered offices or at any other place within the cities, towns or villages in which the registered offices of such companies are situate subject to the condition that every such company shall, within fifteen days from the date of holding the Annual General Meeting, furnish to the Registrar of Companies, Punjab, details of the date and venue of such meeting and the names of the foreign nationals, who attended the said meeting.

This exemption shall remain valid up to 31st December, 1985.

[File No. 2|14|84-CL. V]
A. M. CHAKRABORTI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985